

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// सूचना पत्र //

क्रमांक - B/4932

जबलपुर, दिनांक 25/09/2018

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना विचाराधीन है जिससे कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व स्वयं के स्वामित्व का आवास उपलब्ध हो सके।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा निम्नानुसार प्रस्तावित की गई है :-

क्र.	श्रेणी	उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि पर निर्माण वर्ग फुट में
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1000 वर्ग फुट (2 बी.एच.के.)
2.	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	1500 वर्ग फुट (3 बी.एच.के.)
3.	प्रथम/द्वितीय श्रेणी कर्मचारी	1800 वर्ग फुट (4 बी.एच.के.)

अतः निर्देशानुसार समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित आवास सुविधा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अथवा नहीं, के संबंध में अपनी सहमति/असहमति संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर सूचना पत्र जारी होने के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

24.9.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// प्रपत्र //

मैं ----- पदनाम ----- यूनिकोड नंबर -----, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर प्रस्तावित आवास सुविधा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति/असहमति निम्नानुसार व्यक्त करता हूँ :-

- (क) सहमत हूँ ()
(ख) असहमत हूँ ()

नोट :- 1. अपनी सहमति हेतु (✓) तथा असहमति हेतु (X) का निशान लगावें।
2. जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर :-----
दिनांक : -----